न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 95/2023

1. पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी पूगल

.......प्रार्थी

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, धारा 88 आरटीएक्ट

निर्णय　　　　　दिनांक :–

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में मय तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट व अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 3 पीडब्ल्युएम मु0नं0 60/11 के किला नं0 1 ता 25 की कमाण्ड भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इसी मुरब्बे के किला नं0 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/5 इसप्रकार कुल 1.13 बीघा नहर दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया जबकि उक्त भूमि नहर की सीमा में नहीं आते हुवे भी उक्त रकबे को सिंचाई विभाग द्वारा नहरी क्षेत्र में दर्ज कर गई है। यह कि मुझ मिकर के नाम आवंटन 25.00 बीघा है जबकि जमाबंदी रिकॉर्ड में 23.07 बीघा ही दर्ज है। उक्त रकबे की किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक में 3–3 बिस्वा भूमि को तहसीलदार खाजूवाला व अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला ने अपनी रिपोर्ट में नहर सीमा बताया है। अतः प्रार्थनापत्र/वादपत्र प्रस्तुत कर किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 3–3 नहर दर्ज के अलावा शेष रकबा प्रार्थी ने स्वंय के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला व अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला को रजि0 नोटिस भेजने के बावजूद पत्रावली पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है एवं प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 3 पीडब्ल्युएम का मु0नं0 60/11 का किला नं0 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/15, 6 ता 25 की 23.07 बीघा कमाण्ड रकबा पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी पूगल खातेदार दर्ज है एवं उक्त मु0नं0 के किला नं0 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/5 की 1.13 बीघा कमाण्ड रकबा जमाबंदी का खाता नं0 73 में गैर मुमकिन नहर के खाते में दर्ज है। उक्त रकबे के मौके पर पैमाईश द्वारा भूमि नापने पर नहर का किला नं0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 की 15 बिस्वा नहर का रकबा आता है जबकि जमाबन्दी में किला नं0 1 ता 4 में 7–7 बिस्वा प्रत्येक एवं किला नं0 5 में 5 बिस्वा नहर दर्ज है। पदमाराम के खाता में किलानं0 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/15, के स्थान पर क्रमशः 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17 दुरस्त

किया जाना है एवं किला नं0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 की 15 बिस्वा नहर के खाता में दुरस्त किया जाना उचित है। अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 3 पीडब्ल्युएम के मु0नं0 60/11 व 2 पीडब्ल्युएम के मु0नं0 60/10 का पावली माईनर में आनेवाली भूमि का मौका देखा गया। पत्थर नं0 60/9 जो 2 पीडब्ल्युएम में है वहां से जरीब से नापा गया तथा पत्थर नं0 60/11 कायम किया इसीप्रकार पत्थर नं0 60/17 से जरीब से नापकर पत्थर नं0 60/19 कायम किया। पावली माईनर की चौड़ाई मध्य से दोनो तरफ 33–33 फीट होने पर चक 3 पीडब्ल्युएम के नं0 60/11 के किला नं0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 की 15 बिस्वा रकबा नहर की सीमा में आता है। चक 2 पीडब्ल्युएम मु0नं0 60/10 के किला नं0 21 ता 25 की कुल 1.05 बीघा रकबा नहर की सीमा में आता है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थी द्वारा तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला रिपोर्ट, मूल आवंटन पत्रावली नकल, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली नकल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व अधिशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड खाजूवाला रिपोर्ट के आधार गैरमुमकिन नहर के नाम दर्ज भूमि किला नं0 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/5 इसप्रकार कुल 1.13 बीघा की जगह किला नं0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 की 15 बिस्वा दुरस्त कर उक्त 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट , धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/5 इसप्रकार कुल 1.13 बीघा नहर की जगह किला नं0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 की 15 बिस्वा नहर नियमानुसार दर्ज की जावे एवं उक्त 18 बिस्वा (गैर मुमकिन नहर से हटाई गई भूमि किला नं0 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/2 कुल 18 बिस्वा) भूमि प्रार्थी पदमाराम के नाम नियमानुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)